राजस्थान **उच्च** न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी सिविल रिट याचिका संख्या 7872/2022

मेसर्स हिन्द क्रशर्स, प्रोप्राइटर अशोक कुमार विजय पुत्र श्री बाल चंद विजय, उम्र लगभग 67 वर्ष, निवासी 38, रामपुरा, कोटा

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राज्य राजस्थान, प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, अरण्य भवन, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, कोटा, क्षेत्रीय कार्यालय, चम्बल गेस्ट हाउस, किशोरपुरा, कोटा।
4. उप वन संरक्षक, कोटा।
5. क्षेत्रीय वन अधिकारी, लाडपुरा, कोटा।
6. प्रधान सचिव, उद्योग एवं राज्य उपक्रम विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
7. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको), उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
8. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको), इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा।
9. जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, कोटा।
10. तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।

(30/05/2025 को दोपहर 12:25:12 बजे डाउनलोड किया गया)

----उत्तरदाता

सम्बद्ध याचिका

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7871/2022

मेसर्स नर्मदा क्रशर्स, प्रोप्राइटर महेन्द्र गोयल पुत्र श्री जी.आई. गोयल, उम्र लगभग 59 वर्ष, निवासी बी-133, राधा कृष्ण मंदिर के पास, कोटा

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राज्य राजस्थान, प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, अरण्य भवन, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, कोटा, क्षेत्रीय कार्यालय, चम्बल गेस्ट हाउस, किशोरपुरा, कोटा।
4. उप वन संरक्षक, कोटा।
5. क्षेत्रीय वन अधिकारी, लाडपुरा, कोटा।
6. प्रधान सचिव, उद्योग एवं राज्य उपक्रम विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
7. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको), उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
8. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको), इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा।
9. जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, कोटा।
10. तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।

----उत्तरदाता

बनाम

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7873/2022

मि.स. महेश्वरी क्रशर्स, प्रोप्राइटर हरिओम गुप्ता पुत्र श्री कैलाश चंद गुप्ता, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी 186-बी, तलवंडी, कोटा

(30/05/2025 को दोपहर 12:25:12 बजे डाउनलोड किया गया)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राज्य राजस्थान, प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, अरण्य भवन, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, कोटा, क्षेत्रीय कार्यालय, चम्बल गेस्ट हाउस, किशोरपुरा,कोटा।
4. उप वन संरक्षक, कोटा।
5. क्षेत्रीय वन अधिकारी, लाडपुरा, कोटा।
6. प्रधान सचिव, उद्योग एवं राज्य उपक्रम विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
7. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको), उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
8. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको), इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा।
9. जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, कोटा।
10. तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।

----उत्तरदाता

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7874/2022

मेसर्स चिरंजी लाल पटेल पालीवाल एंड कंपनी, प्रोप्राइटर प्रमोद पालीवाल पुत्र श्री के.एल. पालीवाल, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी 27-सी, इंडसइंड बैंक के सामने, शॉपिंग सेंटर, कोटा

----याचिकाकर्ता

(30/05/2025 को दोपहर 12:25:12 बजे डाउनलोड किया गया)

बनाम

1. राज्य राजस्थान, प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, अरण्य भवन, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, कोटा, क्षेत्रीय कार्यालय, चम्बल गेस्ट हाउस, किशोरपुरा, कोटा।
4. उप वन संरक्षक, कोटा।
5. क्षेत्रीय वन अधिकारी, लाडपुरा, कोटा।
6. प्रधान सचिव, उद्योग एवं राज्य उपक्रम विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
7. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको), उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
8. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको), इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा।
9. जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, कोटा।
10. तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।

----उत्तरदाता

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7875/2022

1. मेसर्स जोशी क्रशर्स, प्रोप्राइटर अविरलकृष्ण जोशी पुत्र गोपाल कृष्ण जोशी, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी 20 मोहन पाड़ा, कथूनी पोल, कोटा

2. मेसर्स जोशी ग्रिट्स, प्रोप्राइटर अविरलकृष्ण जोशी पुत्र गोपाल कृष्ण जोशी, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी 20 मोहन पाड़ा, कथूनी पोल, कोटा

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राज्य राजस्थान, प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, अरण्य भवन, जयपुर।

(30/05/2025 को दोपहर 12:25:12 बजे डाउनलोड किया गया)

3. मुख्य वन संरक्षक, कोटा, क्षेत्रीय कार्यालय, चम्बल गेस्ट हाउस, किशोरपुरा, कोटा।
4. उप वन संरक्षक, कोटा।
5. क्षेत्रीय वन अधिकारी, लाडपुरा, कोटा।
6. प्रधान सचिव, उद्योग एवं राज्य उपक्रम विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
7. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको), उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
8. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको), इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा।
9. जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, कोटा।
10. तहसीलदार, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री निखिलेश कटारा, अधिवक्ता।

उत्तरदाता(ओं) के लिए : श्री जाकिर हुसैन, एजीसी
श्री जितेन्द्र मिश्रा, अधिवक्ता
श्री अर्चित बोहरा, एजीसी
श्री मुकुल शर्मा, अधिवक्ता के साथ
सुश्री हर्षिता ठाकुराल,
माननीय एडवोकेट जनरल के लिए
श्री अजय प्रताप सिंह, उप जी.सी.

माननीय श्री.जस्टिस अवनीश झिंगन

आदेश

16/05/2024

एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 7873/2022:-

(30/05/2025 को दोपहर 12:25:12 बजे डाउनलोड किया गया)

1. ये सभी याचिकाएँ इस आदेश द्वारा निस्तारित की जाती हैं, क्योंकि इसमें संलग्न तथ्यों और मुद्दे समान हैं। सुविधा के लिए, तथ्य एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7873/2022 से लिए जा रहे हैं।

2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि एक स्टोन क्रशर स्थापित करने के लिए याची को प्लॉट संख्या 7, औद्योगिक क्षेत्र, लाखावा, जिला कोटा, पट्टा अनुबंध दिनांक 05.11.1979 के अनुसार आवंटित किया गया था। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (रीको) और वन विभाग के बीच औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु भूमि के पृथक्करण को लेकर विवाद है। वन विभाग द्वारा उठाए गए मुद्दों में से एक यह है कि राजस्व अभिलेख में म्युटेशन/नामांतरण प्रविष्टि वन विभाग के पक्ष में है। वन विभाग द्वारा याची को बेदखली हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 7889/2021 और संबंधित मामलों में, कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने वाली याचिकाएँ 14.02.2022 को निस्तारित कर दी गई थीं।

3. संचालनात्मक भाग को नीचे पुनरुत्पादित किया गया है:-

> "पक्षों के वकील की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
>
> यह सच है कि याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के खिलाफ ये रिट याचिकाएँ दायर की हैं, जिसका याचिकाकर्ताओं ने जवाब भी दाखिल कर दिया है और इस मामले का अंतिम निर्णय प्रतिवादियों द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसरण में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करने के बाद ही किया जा सकता है।

(30/05/2025 को दोपहर 12:25:12 बजे डाउनलोड किया गया)

> इसलिए, मैं इन रिट याचिकाओं का निपटारा इस निर्देश के साथ करता हूँ कि प्रतिवादी-वन विभाग तीन महीने की अवधि के भीतर कारण बताओ नोटिस के अनुसरण में याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद अंतिम निर्णय ले। तब तक, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.07.2021 को पारित अंतरिम आदेश जारी रहेगा।
>
> सभी लंबित आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है।
>
> इस आदेश की एक प्रति प्रत्येक संबंधित फ़ाइल में अलग से रखी जाए।"

4. वन विभाग ने 13.04.2022 को बेदखली का आदेश पारित किया, अतः वर्तमान याचिका दायर की गई है।

5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख देखे गए।

6. याची ने स्टोन क्रशर उस भूखंड पर स्थापित किया है जिसे रीको (तब औद्योगिक विभाग) के द्वारा पट्टे पर दिया गया था। उद्योग विभाग हेतु भूमि को पृथक रखने का मुद्दा इस याचिका में विवाद का विषय नहीं है। प्रतिवादी पक्ष में से किसी के उत्तर के साथ ऐसी कोई कार्यवाही संलग्न नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि औद्योगिक उद्देश्य के लिए भूमि को पृथक रखने का मुद्दा कभी उठाया गया हो।

7. इस मुद्दे के समाधान के लिए, यह उचित होगा कि सचिव, उद्योग विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग, संबंधित विभागों से अभ्यावेदन प्राप्त करके, इस मुद्दे पर विचार करने हेतु एक समिति गठित करें। समिति को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि याचिकाकर्ता के पास राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा जारी पट्टा विलेख वैध रूप से मौजूद है। इसके अलावा, क्या यह विवाद खसरा संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न

(30/05/2025 को दोपहर 12:25:12 बजे डाउनलोड किया गया)

हुई जटिलता के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है। उद्योग विभाग द्वारा पट्टे पर दिए गए भूखंडों का सीमांकन करना और उसके बाद यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि आवंटित क्षेत्र से आगे कोई अतिक्रमण न हो। अंतिम निर्णय पर पहुँचने से पहले समिति को याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देना चाहिए।

8. तदनुसार, याचिकाएँ निस्तारित की जाती हैं।

(अवनीश झिंगन),जे

एचएस/रिया/16-20

रिपोर्ट योग्य हाँ

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra

Advocate

(30/05/2025 को दोपहर 12:25:12 बजे डाउनलोड किया गया)